

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0.11(12)मं.मं./2011

जयपुर, दिनांक 16-05-2014

आज्ञा

प्रो० लाड कुमारी जैन, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त कर रही थीं :-

1. वेतन: ₹ 27,000/- एवं सत्कार भत्ता ₹ 20,000/-
2. वाहन : एक वाहन ।
3. चिकित्सा सुविधा : मंत्री/राज्यमंत्री को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार ।
4. यात्रा भत्ता : मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री को देय (ए क्लास अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता ।
5. दैनिक भत्ता : राजकीय कार्य हेतु:-
(क) राज्य में ₹1000/- प्रति दिन (180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक)
(ख) राज्य से बाहर ₹1250/- प्रति दिन (100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक)
(उक्त दोनों यात्रायें वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी)
6. टेलीफोन : एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु।
एक राजकीय टेलीफोन निवास हेतु जिसकी सीमा 17,000 काल्स प्रति दो माह में होगी ।
7. ठहरने एवं भोजन: माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण/उपमंत्रिगण को देय सुविधा अनुसार होगी ।
8. आवास भत्ता : ₹ 3,000/- प्रति माह।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 5228/2014 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 07.05.2014 की अनुपालना में उपरोक्त सुविधाएँ प्रो० लाड कुमारी जैन, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग को जारी रहेंगी। उक्त सुविधाओं पर होने वाला व्यय इनके प्रशासनिक विभाग महिला बाल विकास विभाग द्वारा वहन किया जावेगा। यह आदेश एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 5228/2014 के निर्णय के अधधीन रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश श्रीवास्तव)
अति० मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल, राजस्थान ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
3. मा० अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, जयपुर ।
4. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिव ।
5. प्रधान महालेखाकार, राज०, जयपुर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष ।
8. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण/संसदीय सचिवगण ।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज०, जयपुर ।
10. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग ।
11. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
12. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर ।
13. कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।

(हरी बाबू शर्मा)
वरि० शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को अलग से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर ।

(हरी बाबू शर्मा)
वरि० शासन उप सचिव